भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4400

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब

4400. **श्री राजेश वर्मा**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है और यदि हां, तो उक्त योजना के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या हैं;

(ख) जनवरी से नवंबर 2024 तक उक्त योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों की संख्या कितनी है और उनमें महिला उद्यमियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) सीपीएसई, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों और अन्य हितधारकों की भागीदारी सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी) का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) मेगा इवेंट (एनएसएसएच कॉन्क्लेव) ने किस प्रकार सार्वजनिक खरीद में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय को संवेदनशील बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने में योगदान दिया है और इसमें शामिल उद्यमियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार एनएसएसएच के दायरे का विस्तार करने या अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पहल शुरू करने की योजना बना रही है यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति-जनजाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करना है। एससी-एसटी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, हब ने कई कार्यकलाप किए हैं जिसमें क्षमता वर्धन कार्यक्रम; बाजार संपर्क कार्यक्रम अर्थात घरेलू और विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद पर सब्सिडी, एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए सब्सिडी, सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टल पर नामांकन के लिए सब्सिडी आदि शामिल हैं। जनवरी से नवंबर 2024 तक, महिलाओं सहित 12,962 एससी-एसटी उद्यमियों ने इस स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभ उठाया है।

(ग): वितीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) के दौरान एनएसएसएच के अंतर्गत सीपीएसई के सहयोग से 3557 एससी-एसटी उद्यमियों की भागीदारी के साथ 82 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(घ): एससी-एसटी उद्यमियों को संवेदनशील बनाने और उनमें व्यापक जागरूकता पैदा करने तथा सार्वजनिक खरीद में उनकी बड़ी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, इस स्कीम के अंतर्गत अनेक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, यह मंत्रालय एनएसएसएच के विभिन्न घटकों तथा मंत्रालय की अन्य प्रमुख पहलों को एससी-एसटी उद्यमियों के बीच प्रसारित करने के लिए देश-भर में विभिन्न स्थानों पर मेगा इवेंट/कॉन्क्लेव आयोजित करता है। एनएसएसएच मेगा इवेंट/कॉन्क्लेव एससी/एसटी उद्यमियों को विभिन्न हितधारकों जैसे सीपीएसई, उद्योग संघों, ऋण देने वाली संस्थाओं तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। बैंक, सीपीएसई, ट्राइफेड, एनएसटीएफडीसी, एनएसएफडीसी, जीईएम, उद्यम पंजीकरण आदि जैसे प्रमुख हितधारकों को भी अपनी पहल साझा करने तथा भाग लेने वाले उद्यमियों का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (वितीय वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान 7213 एससी/एसटी उद्यमियों की भागीदारी के साथ 12 एनएसएसएच कॉन्क्लेव आयोजित किए गए।

(ड.): इस स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समय-समय पर स्कीम के अंतर्गत कई पहलें की गई हैं यथा विशेष क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) के अंतर्गत सेवा क्षेत्रों को शामिल करना, वर्चुअल प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता, विभिन्न वस्तु बोर्डों, निर्यात विकास प्राधिकरणों, निर्यात संवर्धन संगठनों आदि द्वारा एससी-एसटी उद्यमियों से लिए गए सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि।

******